# फर्द अहकाम
## (नियम 26)
### अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम–जहाजपुर जिला भीलवाडा

भूरा पिता सुगना भील निवासी पीपलून्द

बनाम

रामलाल पिता हीरा भील निवासी पीपलून्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल.आर.ए. मुकदमा नं.658/23

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 21.06.23 | प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सुभाषनगर की आराजी सं. 2748/1 रकबा 0.1619 है. एवं ग्राम पीपलून्द की आराजी सं. 2752/1 रकबा 0.0243 गै.मु.आचा , 3145/2752 रकबा 0.6880 है. स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।<br>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम सुभाषनगर की आराजी सं. 2748/1 रकबा 0.1619 है. एवं ग्राम पीपलून्द की आराजी सं. 2752/1 रकबा 0.0243 गै.मु.आचा , 3145/2752 रकबा 0.6880 है. भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेष करे।<br>आदेश आज दिनांक21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी,<br>जहाजपुर (भीलवाडा) | |

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 658 / 2023 दिनांक :– 21.06.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 658 / 2023 अनवान भूरा पिता सुगना भील निवासी पीपलून्द बनाम रामलाल पिता हीरा भील , कालु पिता छोटू गुर्जर , करणा पिता छोटू गुर्जर निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम सुभाषनगर की राजी सं. 2748 / 1 रकबा 0.1619 है. एवं ग्राम पीपलून्द की आराजी सं. 2752 / 1 कबा 0.0243 गै.मु.आचा , 3145 / 2752 रकबा 0.6880 है. भूमि की उभय पक्षों की परिस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर युक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी के पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)